CONSTITUTION DAY CELEBRATIONS

At Haryana State Legal Services Authority, Panchkula:

The Constitution Day was celebrated in the office of Haryana State Legal Services Authority, in the Conference Hall, Administrative Building HALSA in the presence of Hon'ble Member Secretary, Ld. Joint Member Secretary and all the Staff members of HALSA. The Preamble of Constitution was read loud and clear for the gathering, followed by an Oath Ceremony to abide by the Constitutional Provisions and Fundamental Duties. The Hon'ble Member Secretary, HALSA also addressed the gathering while laying stress on the importance of features of our constitution. The gathering also witnessed the screening of "Kartvaya Nibhana Hai" – A documentary on Fundamental Rights and Duties. Glimpses of the same:

At District Legal Services Authorities in the State of Haryana:

District Legal Services Authorities in the State of Haryana celebrated the Constitution day with enthusiasm and arranged various programmes on this occasion. The programs were organized for all the Staff Members, Para Legal Volunteers, Panel Advocates etc. wherein the gatherings were apprised about the significance of the day and broad features of the Constitution of India. Simultaneously, the Preamble was read out in Hindi as well as English for the gathering.

Similar programmes were also arranged for the Panel Advocates and Para Legal Volunteers of Sub Division at Sub Divisional Legal Services Authorities. That apart, DLSAs conducted awareness programmes in various schools, colleges and villages in the State of Haryana. Glimpses of the same:

Sr. No.	No. of Programmes held	No. of participants
	1333	2,29,324

1. **District Legal Services Authority, Ambala**

2. **District Legal Services Authority, Bhiwani**

3. District Legal Services Authority, Charkhi Dadri

4. District Legal Services Authority, Faridabad

5. District Legal Services Authority, Fatehabad

6. District Legal Services Authority, Hissar

7. District Legal Services Authority, Gurugram

8. District Legal Services Authority, Jhajjar

9. District Legal Services Authority, Jind

10. District Legal Services Authority, Kaithal

11. District Legal Services Authority, Karnal

12. **<u>District Legal Services Authority, Kurukshetra</u>**

13. **<u>District Legal Services Authority, Narnaul</u>**

14. District Legal Services Authority, Palwal

15. District Legal Services Authority, Panchkula

16. District Legal Services Authority, Panipat

17. District Legal Services Authority, Rewari

18. District Legal Services Authority, Rohtak

19. District Legal Services Authority, Sirsa

20. District Legal Services Authority, Sonepat

21. District Legal Services Authority, Nuh

22. District Legal Services Authority, Yamuna Nagar

NewsCuttings

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिलाई संविधान की शपथ

जागरण संवाददाता, नारनौल : संविधान दिवस के मौके पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक परिसर नारनौल स्थित एडीआर सेंटर में सीजेएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं को संविधान की प्रस्तावना पढ़कर इसके प्रति निष्ठा रखने की शपथ दिलाई। इसके अलावा कर्तव्य निभाना है लघु फिल्म दिखाई गई।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता व समानता को सुरक्षित करता है। साथ ही लोगों के बीच बंधुत्व की भावना पैदा करने का काम करता है। इसकी प्रस्तावना संविधान के परिचय के तौर पर काम करती है। इसकी प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी,

एडीआर सेंटर में अधिवक्ताओं को जानकारी देती सीजेएम शिखा ● फोटो सौजन्य से डीआइपीआरओ

धर्मनिरपेक्ष उ... करने के लि... ने कहा कि... ओर इशारा... अधिकार क...

नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा जिला प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में आज जिले की शिक्षण संस्थाओं व आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

उपभोक्ता न्यायालय में दिलाई शपथ : संविधान दिवस पर उपभोक्ता न्यायालय जिला महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल में उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग व सदस्यों की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यालय के सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री ...

संविधान अंगीकृत दिवस पर कर्मचारियों ने ली शपथ

मंडी अटेली : खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में 26 जनवरी 1949 में संविधान अंगीकृत पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसइपीओ अनिल कुमार व अकाउंटेंट दयानंद ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए देश हित में काम करेंगे। संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इस मौके पर एबीपीओ ग्राम सचिव कर्णसिंह, सुनील कुमार, बिशन सिंह, रतन सिंह, नरेश कुमार, निशा, विपिन पटवारी, पवन कुमार, शाकुन आदि कर्मचारी शपथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। (संस)

अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक

सतनाली : राजकीय महाविद्यालय में संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को भारतीय संविधान तथा अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्राचार्य प्रो. वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर से 14 अप्रैल 2020 तक महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकार व कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। इस मौके पर प्रो. अजीत सिंह, डा. अमित सांगवान, डा. रेखा शेखावत व प्रो. विचित्र सिंह आदि उपस्थित थे। (संस)

संविधान दिवस की रही धूम

कनीना। उपमंडल कनीना के विभिन्न स्कूलों में संविधान दिवस की धूम रही। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। राजकीय माध्यमिक झिगावन में संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। मौलिक मुख्याध्यापक मनजीत सिंह ने संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर पवित्रा देवी, कर्मवीर, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक कुरड़ाराम, लिपिक प्रीतमसिंह, सुख सहायक ओमप्रकाश आदि मौजूद थे। उधर बीएमडी क्लब एवं रूरल कम्यूनिटी डवलपमेंट सेंटर कनीना के संयुक्त तत्वाधान में कनीना स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को शपथ दिलाई गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनौंदा में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्राचार्य कृष्ण कुमार ने अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर प्राचार्य लाल सिंह, लिंगल लिटरेरी क्लब अध्यक्ष ईश्वर सिंह, रमन कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद था। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कनीना, चेलावास, गुढ़ा, कोटिया में भी संविधान दिवस मनाया गया। (संस)

अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए : शिखा

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिलाई संविधान की शपथ

नारनौल, 26 नवम्बर (पवन): संविधान दिवस के मौके पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक परिसर स्थित ए.डी.आर. सैंटर में सी.जे.एम. व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं को संविधान की प्रस्तावना पढ़कर इसके प्रति निष्ठा रखने की शपथ दिलाई। इसके अलावा कर्त्तव्य निभाना है लघु फिल्म दिखाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता व समानता को सुरक्षित करता है। साथ ही लोगों के बीच बंधुत्व की भावना पैदा करने का काम करता है। इसकी प्रस्तावना संविधान के परिचय के तौर पर काम करती है, इसकी प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लाकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है।

सी.जे.एम. ने कहा कि यह प्रस्तावना इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। ऐसे में हम सभी को अपने जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्त्तव्य भी हैं। हमें अपने कर्त्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा आज जिला प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में आज जिले की शिक्षण संस्थाओं व आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया तथा संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। साथ ही मौलिक कर्त्तव्यों पर लघु फिल्म भी दिखाई गई इसके अलावा न्यायालय के कर्मचारियों, अधिकारियों व कानूनी स्वयंसेवकों द्वारा भी प्रस्तावना पढ़ी गई व फिल्म दिखाई गई।

पंजाब केसरी ई-पेपर
Wed, 27 November 2019
https://epaper.punjabkesari.in/c/

हरियाणा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में मनाया संविधान दिवस

नारनौल, महेश कुमार (पंजाब केसरी): स्थानीय मोहल्ला चौधरीयान स्थित हरियाणा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उदेश्य छात्रों को संविधान से संबधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ-साथ निष्ठा, समर्पण के भावों का संचार करना। इस अवसर पर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय-भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था। यह प्रतियोगिता जूनियर वर्ग (कक्षा 6 से 8) और सीनियर वर्ग (कक्षा 9 से 12) के बीच करवाई गई। प्रतियोगिता में जुनियर वर्ग में धनवी सैनी प्रथम, शगुन गोयल ने द्वितीय तो स्वाती यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी में सीनियर वर्ग में गुनगुन गर्ग प्रथम, मुस्कान गर्ग ने द्वितीय और सुहानी सोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्रों को पुरस्कृत करते हुए विद्यालय चेयरमैन हितेन्द्र शर्मा व निदेशिका संगीता शर्मा ने बताया कि 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी

संविधान दिवस पर जागरूकता शिविरों का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन राजीव शर्मा के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक गुप्ता के आदेशानुसार और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव मोना सिंह की देख-रेख में संविधान दिवस के उपलक्ष में छह अलग-अलग स्थानों पर संविधान संबंधित कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार यह शिविर गवर्नमेंट ब्वायज सीनियर सेकेंड्री स्कूल बल्लभगढ़ गवर्नमेंट, हाई स्कूल दयालपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल भनकपुर, गवर्नमेंट हाईस्कूल पन्हेड़ा खुर्द, गवर्नमेंट हाईस्कूल छांयसा और जिला न्यायालय के बार रूम में आयोजित किए गए। इनमें प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट संगीता भाटी, पंकज शर्मा, परवेज खान, जीत कुमार, राजेंद्र गौतम, नीना शर्मा, निबरास अहमद, अनीता सहरावत ने उपस्थित लोगों को संविधान व मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें संविधान को पालना करनी चाहिए।

रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को इस दिन अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान प्रभावी हुआ था। संविधान दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य संविधान के महत्व को व संविधान के रचनाकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों को जागरूक करना है। संविधान दिवस डॉ. अंबेडकर के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी लिया जाता है। संविधान एक मुख्य कानूनी दस्तावेज है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य, सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति, गवर्नर व प्रधानमंत्री आदि की शक्तियों के बारे में बताता है। यह संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अधिकारों को डिफाइन करता है। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि सरकार द्वारा बनाए गए संविधान की पालना करें। साथ ही अपने राष्ट्र गीत व तिरंगे झंडे का सम्मान करें।

शिविर में बच्चों को दी जानकारी

बच्चों को जानकारी देते अधिवक्ता

फरीदाबाद, 26 नवम्बर (ब्यूरो): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन राजीव शर्मा के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक गुप्ता के आदेशानुसार एवं मोना सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 6 अलग-अलग स्थानों पर संविधान संबंधित कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार ये शिविर गवर्नमेंट बॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़, गवर्नमेंट हाई स्कूल दयालपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल भनकपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल पन्हेरा खुर्द, गवर्नमेंट हाई स्कूल छांयस व बार रूम जिला न्यायालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में आयोजित किए गए। इन शिविरों में प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट संगीता भाटी, पंकज शर्मा, परवेज खान, जीत कुमार, राजेंद्र गौतम, नीना शर्मा, निबरास अहमद, अनीता शेरावत ने उपस्थित लोगों को संविधान व मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दी। रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने कहा कि करो कुछ ऐसा देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसा तिरंगा की शान बढ़ जाए, भरो पिचकारी ऐसे तीनों रंगों की, तन पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। इसी के साथ बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को इस दिन अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को यह संविधान प्रभावी हुआ। उन्होंने बताया कि संविधान दिवस मनाने के पीछे इसका उद्देश्य संविधान के महत्व को व संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों को जागरूक करना है। संविधान दिवस अंबेडकर के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी लिया जाता है। संविधान एक मुख्य कानूनी डॉक्यूमेंट है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य, सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री आदि की शक्तियों के बारे में बताता है। यह संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अधिकारों को डिफाइन करता है।

राष्ट्र विकास के लिए नारी सम्मान और एकता अति आवश्यक : अंकिता

आयोजन

- संविधान दिवस पर वैश्य बीएड कॉलेज में हुआ कार्यक्रम
- सीजेएम सचिव ... किया कार्य...

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: वैश्य बीएड कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएलएसए एवं सीजेएम सचिव अंकिता शर्मा ने की। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता, महाविद्यालय के प्रधान सत्यनारायण अग्र... कोषाध्यक्ष शिव नारायण गुप्... समिति के सदस्य मोहित... की प्राचार्या डा ... अतिथि का ... तुलसी ... वि... बाद ...

वैश्य बीएड कालेज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचीं सीजेएम अंकिता शर्मा व अन्य। ● विज्ञप्ति

हरिभूमि

रोहतक -झज्जर

Date - 27 Nov'19

संविधान में सामाजिक, मानसिक व संवैधानिक आधार पर सभी समानः शर्मा

अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन जरूरी

- डीएलएसए सचिव एवं सीजेएम अंकिता शर्मा ने वैश्य बीएड कॉलेज में छात्राओं को किया जागरूक

हरिभूमि न्यूज >> बहादुरगढ़

डीएलएसए सचिव एवं सीजेएम अंकिता शर्मा ने कहा कि भारत में सभी को संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी राष्ट्र का विकास उचित दिशा में हो पाएगा। संविधान में सभी सामाजिक, मानसिक व संवैधानिक आधार पर समान हैं। उन्होंने 11 नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तथा उसके महत्व को समझाया। वे मंगलवार को वैश्य बीएड कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छात्राओं को संबोधित कर रही थी। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके

बहादुरगढ़। कॉलेज प्रबंधन व छात्राओं के साथ सीजेएम अंकिता शर्मा। फोटो: हरिभूमि

इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रथम वर्ष की छात्रा महिमा ने संविधान विषय पर एक कविता प्रस्तुत कर सभी का मन जीत लिया। सीजेएम अंकिता शर्मा ने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्तव्य भी संविधान में दिए गए हैं और हमें निष्पक्ष भावना से तथा राष्ट्र में योगदान देने के लिए अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना आवश्यक है। उन्होंने भाईचारा, नारी सम्मान, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता पर बल देते हुए कहा कि हमारे राष्ट्र विकास के लिए आवश्यक है कि हम इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। स्त्री का सम्मान होना चाहिए। उन्हें सम्मान व स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, उन्हें शिक्षित होने और किसी भी क्षेत्र में विकास करने का अधिकार है, तो उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस मौके पर प्राचार्या डॉ आशा शर्मा, श्रीनिवास गुप्ता, सत्यनारायण अग्रवाल, शिव नारायण गुप्ता व मोहित आदि ने शाल, पुष्प गुच्छ, तुलसी का पौधा व स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

मौलिक अधिकारियों व कर्तव्यों की पालना करने से होगा संविधान का सम्मानः डॉ. अशोक

कैथल | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला वैकल्पिक विवाद समाधान के सभागार में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने संविधान दिवस पर प्रस्तावना को पढ़ा।

इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अशोक ने कहा कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान में हमें दिए गए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता और पराविधिक स्वंय सेवक उपस्थित रहे। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांगथली में भी संविधान दिवस पर जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। मंच संचालन राजकुमार ने किया। मौके पर डॉ. अशोक कुमार, पैनल अधिवक्ता दवेंद्र राणा, प्रिंसिपल अशोक भट्ट, संतोष, सुनीता, खुशीराम, गगनदीप, रमेश आदि शिक्षक मौजूद रहे।

कानूनी जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्राधिकरण ने मनाया 70 वां संविधान दिवस

ह्यूमन इंडिया/उदयचंद माथुर

हथीन। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान म जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन अशोक कुमार वर्मा व माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में आज 70 वें संविधान दिवस के अवसर पर ए डी आर सेंटर के सभागार में विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन पैनल रिटेनर जगत सिंह रावत एडवोकेट द्वारा किया गया। विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा ने कहा कि हालसा के मार्गदर्शन में आज उक्त कार्यक्रम के अलावा स्कूलों व गांव में संविधान दिवस मनाया गया। जिसका उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं, पैराविधिक स्वयं सेवकों, छात्रों, नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना सहित संविधान की विशेषताओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने ए डी आर सेंटर के सभागार में पैनल अधिवक्ताओं व पैराविधिक स्वयं सेवकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें संविधान की आत्मा प्रस्तावना का पाठ पढ़वाया और संविधान के आधारभूत ढांचे व कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका सहित संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो समाज में हर क्षेत्र में खुशहाली ला सकते हैं और हम अपने महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत उनके द्वारा देखे गये स्वर्णिम सपने को भी साकार कर सकते हैं। हमें अपने कार्यों को खुद करना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर समाज हित में कार्य करें।

किसी के भी साथ भेदभावपूर्ण व्यहवार नहीं करना चाहिए। समाज में फैली समस्याओं को एक साथ मिलकर निपटाना होगा, ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हमें उन्होंने कहा कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करना करें । राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र गान का सम्मान करें। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्रीय सेवा के लिए अग्रसर रहें। महिलाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना महिलाओं के सम्मान के आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें महिलाओं के साथ काम में भी हाथ बंटाना चाहिए। अपनी गौरवशाली संस्कृति व परम्पराओं का महत्व समझते हुए, उनका संरक्षण करें।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए, जल संरक्षण, प्रदुषण निवारण, जीवों के प्रति दया की भावना रखें। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें जो कि हमारे भारत को ऊचाईयों तक लेकर जा सकती हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने भी काव्यबद्ध तरीके से संविधान के विशेष प्रावधानों के बारे में जागरूक किया।

उक्त कार्यक्रम के अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल, निशांत पबलिक स्कूल, सिविल लाईन, कुसलीपुर पलवल में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत, हरिशंकर शर्मा, हंसराज शांडिल्य, विद्यासागर भारद्वाज व पैराविधिक स्वयं सेवकों इंद्रजीत, चंद्रपाल, राधा कौशिक द्वारा विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। उन्हें संविधान के आधारभुत ढांचे सहित मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया।

हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्र हित में करना चाहिए : पीयूष शर्मा

पलवल, 26 नवंबर, सत्यजय टाईम्स/सुन्दर कुण्डू। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन अशोक कुमार वर्मा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में आज 70 वें संविधान दिवस के अवसर पर एडीआर सेंटर के सभागार में विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन पैनल रिटेनर जगत सिंह रावत एडवोकेट द्वारा किया गया। विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा ने कहा कि हालसा के मार्गदर्शन में आज उक्त कार्यक्रम के अलावा स्कूलों व गांव में संविधान दिवस मनाया गया। जिसका उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं, पैराविधिक स्वयं सेवकों, छात्रों, नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना सहित संविधान की विशेषताओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने ए डी आर सेंटर के सभागार में पैनल अधिवक्ताओं व पैराविधिक स्वयं सेवकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें संविधान की आत्मा प्रस्तावना का पाठ पढ़वाया और संविधान के आधारभूत ढांचे व कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका सहित संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए।

यदि हम सभी मिलकर मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो समाज में हर क्षेत्र में खुशहाली ला सकते हैं और हम अपने महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत उनके द्वारा देखे गये स्वर्णिम सपने को भी साकार कर सकते हैं। हमें अपने कार्यों को खुद करना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर समाज हित में कार्य करें। किसी के भी साथ भेदभावपूर्ण व्यहवार नहीं करना चाहिए। समाज में फैली समस्याओं को एक साथ मिलकर निपटाना होगा, ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हमें उन्होंने कहा कि हमारा मौलिक

कानूनी जागरूकता शिविर में मौजूद लोगों को सम्बोधित करते पीयूष शर्मा

छाया: सत्यजय टाईम्स/सुन्दर कुंडू।

कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करना करें । राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र गान का सम्मान करें। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्रीय सेवा के लिए अग्रसर रहें। महिलाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना महिलाओं के सम्मान के आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें महिलाओं के साथ काम में भी हाथ बंटाना चाहिए।

अपनी गौरवशाली संस्कृति व परम्पराओं का महत्व समझते हुए, उनका संरक्षण करें। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए, जल संरक्षण, प्रदूषण निवारण, जीवों के प्रति दया की भावना रखें। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें जो कि हमारे भारत को ऊचाईयों तक लेकर जा सकती हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने भी काव्यबद्ध तरीके से संविधान के विशेष प्रावधानों के बारे में जागरूक किया। उक्त कार्यक्रम के अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल, निशांत पब्लिक स्कूल, सिविल लाईन, कुसलीपुर पलवल में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत, हरिशंकर शर्मा, हंसराज शांडिल्य, विद्यासागर भारद्वाज व पैराविधिक स्वयं सेवकों इंद्रजीत, चंद्रपाल, राधा कौशिक द्वारा विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

शिविरों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। उन्हें संविधान के आधारभूत ढांचे सहित मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया। नालसा योजनाओं, प्राधिकरण की सेवाओं सहित हेल्पलाइन नंबर 01275 298003 के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

मौलिक कर्तव्यों का पालन राष्ट्रीय प्रेम का आदर्श प्रमाण : पीयूष शर्मा

स्कूली बच्चों ने ली भारतीय संविधान की शपथ

विधि प्राधिकरण ने संविधान दिवस पर जागरूकता शिविर लगाया

अजय प्रताप सिंह

पलवल। जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान में आज 70 वें संविधान दिवस के अवसर पर ए डी आर सेंटर के सभागार में विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पैनल रिटेनर जगत सिंह रावत एडवोकेट द्वारा किया गया। जिसका उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं, पैराविधिक स्वयं सेवकों, छात्रों, नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना सहित संविधान की विशेषताओं के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने ए डी आर सेंटर के सभागार में पैनल अधिवक्ताओं व पैराविधिक स्वयं सेवकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें संविधान की आत्मा प्रस्तावना का पाठ पढवाया और संविधान के आधारभूत ढांचे व कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका सहित संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें अपने मौलिक

अधिकारों के साथ.साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो समाज में हर क्षेत्र में खुशहाली ला सकते हैं और हम अपने महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत उनके द्वारा देखे गये स्वर्णिम सपने को भी साकार कर सकते हैं। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने भी काव्यबद्ध तरीके से संविधान के विशेष प्रावधानों के बारे में जागरूक किया।

उपस्थित थे।

न्यायाधीश ने झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को किया रवाना

कर्मचारियों ने ली शपथ

चलेगा अभियान, जिलास्तरीय कमेटी गठित

बावल न्यायिक परिसर में मंगलवार को संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश व अधिवक्ता। • जागरण

राष्ट्रगान के सा...

...दिवस का समापन

बच्चों को दी गई संवैधानिक अधिकारों की जानकारी

सोनीपत| जिला विधि ... मुख्य
न्यायिक दंडाधिक ...
विद्यापीठ में सं...
सेवक दीप...
संविधा...
के ...

हरिभूमि

रोहतक - सोनीपत
Date - 27 Nov'19

संविधान हमें समानता के साथ जीने का अधिकार देता है

सोनीपत। संविधान दिवस पर कानूनी सेवक व दीपक कुमार कानूनी जानकारियां देते हुए। फोटो:हरिभूमि

सोनीपत। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्त्वाधान में ऋषिकुल विद्यापीठ, सिटी विंग में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, कर्तव्य, मुफ्त कानूनी सहायता और प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कानूनी सेवक व नेशनल अवॉर्डी दीपक कुमार मंथन एवं अधिवक्ता रीटा दहिया ने बताया कि हमारा संविधान देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। इस अवसर पर कानूनी सेवक नेशनल अवॉर्डी दीपक कुमार मंथन ने सभी को संविधान और कानून नियमों की पालना के लिए शपथ भी दिलवाई। प्रिंसिपल शर्मा ने भी कहा की भारतीय संविधान सही अर्थों में भारत को राष्ट्रीय एकता से जोड़ता है। इस मौके पर समस्त अध्यापक गण व विद्यार्थी मौजूद रहे।

संविधान दिवस पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण

पंजाब केसरी (27-11-2019)

यमुनानगर केसरी

जिले में विभिन्न स्थानों पर हुआ संविधान दिवस का आयोजन

अधिकारों की प्राप्ति के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी करें पालन : डा. अब्दुल माजिद

दैनिक भास्कर (27-11-2019)

यमुनानगर

संविधान दिवस पर जिले में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में हुए कार्यक्रम, शपथ भी दिलवाई गई

डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक, बोले- हर नागरिक को संविधान का सम्मान करना चाहिए

भास्कर न्यूज | यमुनानगर

संविधान दिवस पर मंगलवार को जिले में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला सचिवालय में डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है। हर नागरिक को संविधान का सम्मान करना चाहिए। नगराधीश सोनू राम ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एसपी कुलदीप सिंह यादव, जगाधरी की एसडीएम पूजा चांवरिया, डीएसपी सुभाष चंद व प्रदीप राणा, डीआईओ अरविन्द्र जोत सिंह वालिया, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार सहित जिला के अन्य अधिकारी और विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी मौजूद रहे।

न्यायालय परिसर में जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट रूम में भारत के संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कार्यकारी जिला सेशन न्यायाधीश व चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. अब्दुल माजिद ने की, संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम अरविन्द कुमार ने किया। मौके कई न्यायाधीश, अधिवक्ता व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स के लीगल लिटरेसी सेल द्वारा संविधान दिवस पर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ व छात्राओं ने संविधान के प्रति निष्ठा एवं अपने कर्तव्यों के निर्वाहन की शपथ ली। कार्यवाहक प्राचार्या डॉ. विभा गुप्ता, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र कौर व समाज शास्त्र विभागाध्यक्षा डॉ. सीमा सेठी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप में विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य परमजीत गर्ग, विज्ञान अध्यापक दर्शन लाल बवेजा व हिंदी प्रवक्ता श्याम कुमार ने संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। बच्चों को भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं से अवगत करवाया गया।

नेशनल पब्लिक स्कूल प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों ने संविधान के नियमों का पालन करने और इसके गौरव को बनाए रखने की शपथ ली। विद्यालय प्रबंधक आरएस पुण्डीर ने कहा कि संविधान दिवस भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण दिवस है।

रादौर के ज्योतिबा फुले सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल डॉ. राजेन्द्र रंगा के नेतृत्व में स्टाफ सदस्यों व बच्चों ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. अनिता ने की। मौके पर प्रिंसिपल डॉ. रंगा, प्रो. सतपाल, प्रो. जोगेंद्र, प्रो. ममता, डॉ. कुलदीप, डॉ. ललिता, प्रो. रिंकू, प्रो. ऋतु, प्रो. गौरव, प्रो. नैंसी, मौजूद रहे।

यमुनानगर | संविधान दिवस पर न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते न्यायाधीश।

यमुनानगर | संविधान दिवस पर शपथ लेते नेशनल स्कूल के विद्यार्थी।